

I/433607/2023

**उत्तर प्रदेश शासन**

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2023

**कार्यालय-ज्ञाप**

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-25/2023/आई/424662/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक 08.11.2023 द्वारा दिनांक 01.07.2023 से मंहगाई राहत की दर 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की गयी है।

2- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08.11.2023 के प्रस्तर-3 की व्यवस्था के आलोक में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य मंहगाई राहत दिनांक 01.07.2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत इस शर्त के अधीन की जाती है कि इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित प्राधिकरण स्वयं के संसाधनों से वहन करेंगे तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राधिकरणों को नहीं दी जायेगी।

Signed by उदय भानु  
त्रिपाठी

Date: 23-11-2023 17:50:34

Rea(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
- (2) नोडल अधिकारी/वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
- (3) निदेशक, आवास बंधु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- (4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उदय भानु त्रिपाठी

विशेष सचिव।